उदय प्रताप स्वायत्तशासी, महाविद्यालय
वाराणसी-221002, उत्तर प्रदेश

रजि0सं0..... दिनांक.26-2-02.

रजिस्ट्रार
पूर्वांचल विश्वविद्यालय
जौनपुर, उत्तर प्रदेश

महोदय,

मैं प्रमाणित करता हूँ कि कु0 आभा सिंह ने मेरे निर्देशन में ''ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका: काशी ग्रामीण बैंक के सन्दर्भ में'' विषय पर शोध कार्य किया है।

इस शोध ग्रंथ में सम्पूर्ण अध्ययन एवं निष्कर्ष इनका मौलिक योगदान है।

प्राचार्य 26/02/02
PRINCIPAL
UDAI PRATAP COLLEGE
उदय प्रताप स्वायत्तशासी महाविद्यालय
वाराणसी।

अशोक कुमार सिंह

रीडर ECONOMICS DEPARTMENT
UDAI PRATAP COLLEGE, VARANASI
उदय प्रताप स्वायत्तशासी
महाविद्यालय, वाराणसी।

आदर्श के प्रतिमूर्ति स्व0 पिताजी
तथा पूज्यनीया माताजी के साथ
प्रेम, दया, करूणा के सागर
श्री सिद्धार्थ गौतम रामजी
को सादर समर्पित।।

प्रस्तावना

वर्तमान समय में प्रत्येक राष्ट्र विकास कार्यो एवं योजनाओं में संलग्न है। विकसित राष्ट्र अपने जीवन स्तर को और अधिक समुन्नत करने तथा विश्व में अपना प्रभुत्व बनाए रखने की भावना से विकास कार्यो में संलग्न है। दूसरी तरफ अर्द्धविकसित राष्ट्र जो सदियों से निर्धनता एवं सामाजिक अस्थिरता की स्थिति में रहे है, अपनी गरीबी और अज्ञानता पर विजय प्राप्त करना चाहते है। इस सन्दर्भ में प्रत्येक राष्ट्र के लिए आर्थिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है।

आर्थिक विकास के मार्ग में कई समस्याएं है जो कि आर्थिक वृद्धि में बाधा प्रस्तुत करती है। इन समस्याओं में दरिद्रता प्रमुख है। अल्पविकसित देश निर्धनता के कुचक्र में फँसे हुए है। इस दुष्चक्र से अर्थव्यवस्था को निकालने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से प्राकृतिक साधनों का विकास, पूँजी निर्माण को बढ़ावा, बाजार सुविधाओं का विकास, प्रौद्योगिकी उन्नति, मानवीय साधनों का विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संतुलित विकास करना आवश्यक है। आर्थिक विकास की एक बड़ी बाधा पूँजी की कमी भी होती है। पूँजी की कमी कई कारणों से होती है, जैसे बचत एवं निवेश का निम्न स्तर वित्तिय समस्याएँ एवं प्रदर्शनकारी प्रभाव। अल्पविकसित प्राकृतिक साधन भी आर्थिक विकास में एक बड़ी बाधा के रूप में मानी जाती है। जब विभिन्न कारणों से प्राकृतिक साधनों का उपयोग नहीं हो पाता या अल्प उपयोग या सिर्फ दुरूपयोग होता है तब देश का आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। सीमित बाजार की स्थिति भी आर्थिक विकास में बाधा है। अनेक अल्पविकसित देशों में जनसंख्या विस्फोट भी आर्थिक विकास की समस्या है क्योंकि इससे उत्पादन का स्तर उतना नहीं बढ़ पाता जितनी तीव्रता से उपभोग

में वृद्धि होती है। साधनों की उत्पादकता में कमी भी आर्थिक विकास में समस्या है। इसका मुख्य कारण साधनों की अगतिशीलता, कार्यकुशलता का कम होना, सीमित विशिष्टीकरण और उद्यम का अभाव है। उपनिवेशवाद ने भी अल्पविकसित देशों के विकास को बाधित किया। विदेशी शासकों के अधीन सारा व्यापार रहने के कारण इन देशों से अधिक निष्कासन के रूप में कच्चा माल, अधिक वसूली, धन व अमूल्य वस्तुएँ विदेशों में गयी। उपनिवेशवाद के कारण आज विश्व के अल्पविकसित देशों को विकसित देशों की आर्थिक सहायता पर निर्भर रहना पड़ रहा है। एक अन्य समस्या कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित है। अल्पविकसित देश रोजगार तथा आय के स्रोत के रूप में कृषि पर निर्भर करते है। कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन अल्पविकसित देशों के धीमे आर्थिक विकास में मुख्य बाधा है।

आर्थिक विकास में गैर-आर्थिक बाधाएँ भी पायी जाती है जो इस प्रकार है। अल्पविकसित देशों में सामाजिक संस्थाएँ ऐसे व्यवहारों का प्रदर्शन करती है जो कि आर्थिक विकास के प्रेरक नहीं होते। यह जाति तथा वर्ग सम्बन्धी दरारों, अन्य देशीय तथा धर्मिक भेदों, सांस्कृतिक परम्परा तथा सामाजिक आदर्शों में भेद, बन्धुत्व-निष्ठा और क्षेत्रीय ज्ञान के द्वारा समाज की विभाजित होने की प्रवृत्ति है। अल्वविकसित देशों में धार्मिक प्रवृत्तियाँ भी विकास के मार्ग में बाधाएँ डालती है। धर्म बचत तथा परिश्रम के गुणों को कम प्रोत्साहित करता है। इन देशों में लोग अवकाश, उत्सवों एवं धार्मिक समारोहों में भाग लेने को अधिक महत्व देते है। अविकसित मानव संसाधन अल्पविकसित देशों के विकास में एक महत्वपूर्ण बाधा है। ऐसे देशों में अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक कुशलताएँ और ज्ञान वाले व्यक्तियों का अभाव होता है। परिणामस्वरूप भौतिक पूँजी, चाहे देशीय या आयतित हो, उसका उत्पादकीय उपयोग नहीं किया जा सकता है। अल्पविकसित देशों में राजनैतिक

तत्व भी सबसे बड़ी बाधा है। इन देशों में राजनैतिक भ्रष्टाचार और राजनैतिक अस्थिरता का राजनैतिक दलों द्वारा हड़तालों, जुलूसों और गलत अफवाहों द्वारा पैदा की जाती है। दूसरी तरफ, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति इन देशों को गुटों में विभाजित किए हुए है तथा अर्थिक सहायता के लिए भी विकसित देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अल्पविकसित देशों का प्रशासनिक ढ़ाँचा भी विकास में एक बड़ी बाधा धारण किए हुए है। प्रशासनिक ढ़ाँचा राजनीति से प्रेरित रहता है जिससे इन अर्थव्यवस्थाओं में लोग सरकारी कार्यो को पूरी निष्ठा से नहीं निभाते जिससे प्रशासनिक दक्षता कम रहती है। अदक्ष प्रशासन चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हो अथवा निजी क्षेत्र में, देश के आर्थिक विकास में बाधा बना रहता है।

अल्पविकसित देशों के गरीब तथा पिछड़े रहने का कारण उनका मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर रहना तथा उत्पादकता का स्तर नीचा होना है। अल्पविकसित देशों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है तथा अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।

भारत भी गाँवों का देश है। यहाँ का ग्रामीण क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 96 प्रतिशत है। 1951 में कुल 24.9 करोड़ व्यक्ति, जो इस समय की कुल जनसंख्या के 70 प्रतिशत थे, कृषि पर अपनी जीविका के लिए निर्भर थे। तब से इस स्थिति में नाममात्र का परिवर्तन हुआ है। उस समय भारत की श्रमशक्ति का 69.5 प्रतिशत भाग कृषि व्यवसाय से लगा हुआ था। जबकि 1991 की जनगणना के अनुसार कृषि पर 64.9 प्रतिशत लोग निर्भर थे। इस प्रकार भारत में समग्र आर्थिक विकास ग्रामीण विकास पर निर्भर है।

ग्रामीण विकास से अभिप्राय ग्रामीण जीवन के भौतिक स्तर में समग्र रचनात्मक परिवर्तन से है। सुधार के लिये इस रचनात्मक परिवर्तन में आर्थिक

के साथ-साथ सामाजिक पहलू सम्मिलित है। इसलिए ग्रामीण विकास के लिए केवल आर्थिक संवृद्धि ही नही बल्कि आर्थिक संवृद्धि के लाभों का न्यायोचित वितरण भी आवश्यक हैं। इसका अर्थ है कि बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और कल्याण द्वारा ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार। ग्रामीण विकास के मूल तत्व है- प्रथम, ग्रामीण असमानता व निर्धनता का उन्मूलन। द्वितीय, ग्रामीण समुदाय के भौतिक कल्याण में वृद्धि। तृतीय, सामाजिक स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और कल्याण आदि में वृद्धि। चतुर्थ, विभिन्न जन-समूहों के बीच विकास के लाभों का न्यायोचित वितरण। पंचम, ग्रामीण प्रौद्योगिकी में प्रगति। षष्टम्, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन क्षमता में वृद्धि। सप्तम, ऐसे संस्थागत ढाँचे का निर्माण जिसमें निर्णय लेने के सभी स्तरों पर लोगों की सहभागिता हो।

ग्रामीण आबादी का एक बहुत बड़ा भाग लघु व सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के रूप में निर्धनता में जीवनयापन करता है। गाँवों की यह निर्धनता देश के सर्वाङ्.गीण विकास में बाधक रही है। स्वतन्त्रता के बाद योजना काल में ग्रामीण विकास के लिए समयबद्ध कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए। इसके अन्तर्गत भारत सरकार ने ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गो के उत्थान तथा रोजगार के नए अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में अनेक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये है। वास्तव में गाँवों के सन्तुलित, सर्वाङ्.गीण एवं तीव्र विकास पर ही भारत का विकास निर्भर है। ग्रामीण विकास केवल इसलिए आवश्यक नही है कि बहुसंख्यक जनसंख्या गाँवों में रहती है बल्कि इसलिए कि ग्रामीण कार्यकलापों का विकास देश के अर्थिक विकास की गति निर्धारित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तिय सुविधाओं को सुलभ कराने का सिलसिला हमारे देश में बहुत पुराना है। यह कार्य सर्वप्रथम सहकारिता आन्दोलन को सौंपा गया था। बैंकिंग संस्था का विस्तार उनमें से एक है। विश्व के समस्त

विकसित तथा विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के संचालन में बैंकिंग संस्थाएँ महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है। वास्तव में बैंकिंग सुविधाओं के अभाव में समुचित सुदृढ़ तथा गतिशील अर्थव्यवस्था के संचालन की प्रक्रिया सम्भव नहीं है। ये बैंकिंग संस्थाएँ आर्थिक संसाधनों को एकत्रित कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी आवश्यकतानुसार साधनों को वितरित करके अनेक उपयोगी कार्यो को निष्पादित कर रही है।

बैंकों की सुलभता ने भारतीय राष्ट्रीय आर्थिक विकास में अपने योगदानों से राष्ट्रीय उत्पादन को विकास का वह स्वरूप प्रदान किया है जिससे देश में कृषि एवं उद्योगों के क्षेत्र में नवीनीकरण के साथ-साथ गतिशीलता भी आयी है। आधुनिक युग में प्रत्येक नागरिक अपने रहन-सहन, वेश-भूषा, खान-पान में भी नवीनता लाना चाहता है। कम उत्पादन, अधिक माँग, बेरोजगारी, गरीबी, कृषि की अनुपयुक्तता, औद्योगिक पिछड़ापन आदि समस्याएँ अधिकतर भारतीयों के सामने इतनी जटिल है कि राजनैतिक एवं प्रशासनिक शक्तियाँ उनके उचित समाधान में अपनी तत्परता दृढ़ नहीं कर पा रही है।

पंचवर्षीय योजनाओं में इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर ग्रामीण कृषकों के पास अधिकतम वित्तीय संसाधनों को सुलभ करने का प्रयास किया गया है, फिर भी ग्रामीणों की अपेक्षित आवश्यकतायें प्रायः अपूर्ण रहती हैं।

वर्तमान दशकों की अपेक्षा पूर्व के दशकों में बैंकों की असुलभता के कारण किसानों को ऋण हेतु सेठ-साहूकारों के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं था। वे अपने कृषि विकास एवं उत्पादकता वृद्धि के लिए, जमींदारों एवं साहूकारों के पास अपनी सम्पत्ति, जैसे- भूमि, सोना, चाँदी एवं अन्य सम्पत्ति गिरवी रखकर ऋण प्राप्त करते थे, लेकिन मनमाने ब्याजदर और अधिक खर्च के कारण समय पर ऋण की अदायगी न करने पर उसके विकास में और भी

कठिनाइयाँ आ जाती थी। फलस्वरूप आर्थिक कठिनाइयों के साथ-साथ सामाजिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था।

ग्रामीण विकास में बैंकिंग संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि विकास की प्रक्रिया में वित्त प्रबन्धन तथा विनियोजन द्वारा आर्थिक संसाधनों को गतिशील करने का एक मात्र माध्यम बैंकिंग संस्था ही है। चूँकि भारत में ग्रामीण विकास से देश का समग्र विकास सम्भव है, इसलिए बैंकिंग प्रणाली को विकास से जोड़ने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जुलाई 1969 में 14 प्रमुख व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यह ग्रामीण साख सुविधा के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण व क्रान्तिकारी कदम था। किन्तु, व्यापारिक बैंकों की कार्यप्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ पहुँचाने की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध नहीं हुई।

फलस्वरूप ग्रामीण वित्त व्यवस्था में आवश्यकतानुसार सुधार लाने तथा इसे और अधिक प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से 1969 में स्थापित बैंकिंग आयोग ने ग्रामीण क्षेत्र में साख विस्तार हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्गठन के साथ ही साथ ''ग्रामीण बैंकों'' की स्थापना का सुझाव दिया। इन्हीं सुझावों के आधार पर भारत सरकार ने 26 सितम्बर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश 1975 पारित किया। यह अध्यादेश तत्कालिक प्रभाव से लागू माना गया। 2 अक्टूबर 1975 को गाँधी जयन्ती के अवसर पर 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। यह अध्यादेश 9 फरवरी 1976 को ''क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976'' के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्य बैंक द्वारा प्रायोजित किये जाते है। प्रायोजित करने वाले बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को हिस्सा पूँजी, प्रबंध व्यवस्था, कर्मचारियों एवं तकनीकी व्यक्तियों की नियुक्ति में सहायता देते है। इन बैंकों के ऋण का 90 प्रतिशत ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गो को दिया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंक को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है- प्रथम, कृषि एवं तत्सम्बन्धित व्यवसायों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। द्वितीय, लघु एवं सीमान्त कृषक तथा भूमिहीन मजदूरों को उनकी समसामयिक आवश्यकतानुसार लघु अवधि और सावधि ऋण उपलब्ध कराना। तृतीय, लघु व्यवसायियों एवं उद्यमियों को ऋण सुलभ कराना। चतुर्थ, निर्बल वर्ग, जिनको कि वाणिज्य बैंक और सहकारी बैंकों सहित वर्तमान ऋण संस्थाओ द्वारा पर्याप्त सहायता नही की जाती है, को साख सुविधाएँ उपलब्ध कराना। पंचम, ग्रामीण शिल्पकारों एवं बेरोजगारों को उनकी आवश्यकतानुसार ऋण तथा अन्य सुविधायें दिलाना।

वर्ष 1975 में स्थापित ग्रामीण बैंकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है तथा इनके कार्यक्षेत्र में भी विस्तार हुआ है। इन बैंकों द्वारा जिन उद्देश्यों की पूर्ति की जानी थी उसमें इन्होंने वर्तमान में कितनी सफलता प्राप्त किया इसका मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है जिससे इनके संगठन, कार्यविधि तथा अन्य सम्बन्धित पहलूओं की जानकारी प्राप्त की जा सके तथा यदि कोई कठिनाई या कमी है तो उसे शीघ्र दूर किया जा सके जिससे ये बैंक ग्रामीण विकास में अपनी सार्थक भूमिका निभा सके।

इसी उद्देश्य से वाराणसी जनपद में कार्यरत ग्रामीण विकास बैंकों का अध्ययन प्रस्तावित है। यह अध्ययन वर्ष 1980 से 1995 की अवधि से सम्बन्धित है।

वाराणसी जनपद के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अन्तर्गत 28 जुलाई 1980 को ''काशी ग्रामीण बैंक'' के नाम से हुई। यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रवर्तित ''काशी ग्रामीण बैंक'' का कार्यक्षेत्र इस शोध में वाराणसी जनपद है। इसकी 79 शाखाएँ जनपद में क्रियाशील हैं। 1985 के बाद कोई शाखा नही खोली गयी है। काशी ग्रामीण

बैंक जनपद के ग्रामीण विकास को लक्ष्य में रखकर, ग्रामीणों की पूँजी निर्माण में वृद्धि, कृषकों को अपेक्षित संसाधन उपलब्ध कराने, गरीबी रेखा से ऊपर उठाने, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करने एवं स्वरोजगार के सृजन आदि के लिए कृतसंकल्प है।

प्रस्तावित शोध प्रारूप का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास में काशी ग्रामीण बैंक की भूमिका का परीक्षण करना और नियोजकों और विकास प्रशासन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना है। उपरोक्त विवेचन को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का निम्नांकित उद्देश्य रखा गया है- प्रथम, ग्रामीण विकास की संकल्पना, सामाजिक आर्थिक संरचना और कार्यनीतियों का परीक्षण करना। द्वितीय, ग्रामीण वित्त के संस्थागत ढाँचे की समीक्षा करना। तृतीय, ग्रामीण वित्त के संस्थागत ढाँचे में काशी ग्रामीण बैंक की भूमिका का मूल्यांकन करना। चतुर्थ, कृषि के विकास में काशी ग्रामीण बैंक की भूमिका का विवेचन करना। पंचम्, कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास में, काशी ग्रामीण बैंक के योगदान का विवेचन करना। षष्टम्, स्व-रोजगार के क्षेत्र में काशी ग्रामीण बैंक के योगदान का विवेचन करना। सप्तम्, काशी ग्रामीण बैंक की कृषि, कुटीर एवं लघु उद्योग तथा स्व-रोजगार के क्षेत्र में उपलब्धियों का मूल्यांकन करना। अष्टम्, चयनित ऋणकर्ताओं के जीवन-स्तर में सुधार की दिशा का अध्ययन करना तथा आवश्यक सुझाव देना।

इस शोध प्रबन्ध में विभिन्न सरकारी और अर्द्धसरकारी तथा काशी ग्रामीण बैंक से सम्बन्धित अभिलेखों एवं रिपोर्टो के आधार पर आँकड़े एकत्रित कर विश्लेषणात्मक पद्धति अपना कर अध्ययन किया गया है। शोध प्रबन्ध का यह अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। द्वितीयक आँकड़ों के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि इस विकासखण्ड

में काशी ग्रामीण बैंक द्वारा विभिन्न मदों में कितना ऋण प्रदान किया गया है तथा इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए है।

तथ्यों के विश्लेषण एवं निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए द्वितीयक समंकों तथा साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक समंक निम्नांकित स्रोतों से एकत्र किये गये है- प्रथम, कार्यालय, जिला सांख्यिकी अधिकारी, वाराणसी। द्वितीय, जनपद गजेटियर, वाराणसी। तृतीय, प्रधान कार्यालय काशी ग्रामीण बैंक, वाराणसी। चतुर्थ, काशी ग्रामीण बैंक की विभिन्न शाखाएँ। पंचम, साक्षात्कार हेतु शाखा प्रबन्धक काशी ग्रामीण बैंक तथा चयनित ऋणकर्ता से सम्पर्क किया गया।

चयनित ऋणकर्ताओं के जीवन-स्तर में सुधार के अध्ययन हेतु प्रश्नावली विधि द्वारा प्राथमिक समंकों को एकत्र किया गया है। ऋणकर्ताओं का चयन जनपद के सभी आठ ब्लाक से किया गया है। हर ब्लाक से दो गाँव लिए गए है, जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि सभी जातियाँ, व्यवसाय, धर्म एवं वर्गो के लोग आवृत्त हो जाय। सभी गाँवों से कुल एक सौ ऋणकर्ता चुने गये है। यह चुनाव ''यादृच्छिक'' नमूना के आधार पर किया गया है। पन्द्रह गाँवों मे से प्रत्येक से 6 परिवारों को लिया गया है तथा एक गाँव से दस परिवारों को लिया गया है। इस शोध में जो भी निष्कर्ष निकाले गये है उनका आधार द्वितीयक समंक के साथ-साथ शोधकर्ता द्वारा लिए गये साक्षात्कार हैं। साक्षात्कार अनुसूची के अतिरिक्त अनौपचारिक वार्तालाप के माध्यम से भी अध्ययन के लिए आवश्यक तथ्यों का संकलन किया गया है। अध्ययन द्वारा संकलित तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन का कार्य व्यक्तिगत रूप से शोधकर्ता द्वारा किया गया है। प्रत्येक सारणी में आवृति ही कुल संख्या का आवंटन एवं प्रतिशत दिखा रही है।

शोध ग्रंथ में कुल नौ अध्याय बना है। प्रथम अध्याय में आर्थिक विकास का वर्णन किया गया है। साथ ही आर्थिक विकास के आर्थिक तथा अनार्थिक तत्व, विकासशील देश का अर्थ, भारतीय अर्थव्यवस्था का संरचना का भी अध्ययन किया गया है।

द्वितीय अध्याय में ग्रामीण विकास से सम्बन्धित है, जिसमें ग्रामीण विकास का अर्थ तथा अवधारणा, भारत में ग्रामीण विकास के लिये स्वतन्त्रता के पूर्व एवं पश्चात् किये गये प्रयासो का विस्तृत विवेचन किया गया है।

तृतीय अध्याय में ग्रामीण वित्त की विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें वित्त की संस्थागत तथा गैर संस्थागत स्रोतो का विस्तृत विवेचन किया गया है।

चतुर्थ अध्याय में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संरचना का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के उद्देश्यों, शाखा विस्तार आदि का विस्तृत अध्ययन किया गया है।

पाँचवें अध्याय में वाराणसी जनपद की रूपरेखा का वर्णन किया गया है। इसके अन्तर्गत जनपद की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, भू-उपयोग, कृषि एवं उद्योगों की स्थिति, जनसंख्या वितरण, साक्षरता स्थिति, बैंकिंग स्थिति आदि का वर्णन किया गया है।

छठें अध्याय में वाराणसी जनपद में स्थित काशी ग्रामीण बैंक की संरचना का विस्तृत अध्ययन किया गया है।

सातवें अध्याय में वाराणसी जनपद के ग्रामीण विकास में काशी ग्रामीण बैंक द्वारा किये गये ऋण वितरण का विस्तृत अध्ययन किया गया है। द्वितीयक आँकड़ों के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि काशी

ग्रामीण बैंक द्वारा विभिन्न मदों में कितना ऋण प्रदान किया गया है तथा इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए है।

आँठवें अध्याय में प्राथमिक आँकड़ों (जो एक सौ चयनित ऋणकर्ताओं पर आधारित है) द्वारा यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि बैंक से ऋण प्राप्त करने के बाद ऋणकर्ताओं की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है या नहीं तथा ऋण की प्राप्ति एवं ऋण की अदायगी में ऋणकर्ता को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए संलग्न प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

नवें अध्याय में अध्ययन से सम्बन्धित निष्कर्ष एवं सुझाव दिये गये है। इसमें काशी ग्रामीण बैंक द्वारा वितरित ऋण से जुड़ी समस्या तथा उसके समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत किए गए है।

*****

आभार

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने में अनेक महानुभावों ने अपना बहुमूल्य निर्देशन और सहयोग प्रदान किया है उनके प्रति आभार प्रकट करना मेरा पुनीत कर्तव्य है।

इस शोध प्रबन्ध के निर्देशक डॉ0 अशोक कुमार सिंह आदर के पात्र है जिन्होंने उच्चकोटि के बौद्धिक कार्य करने के लिए मुझे सर्वदा प्रेरित और प्रोत्साहित किया। साथ ही विभाग के अन्य गुरूजन डॉ0 संकठा सिंह, डॉ0 गुलाब सिंह, डॉ0 विनोद सिंह भी आदर के पात्र है जिन्होंने अपना स्नेह व मार्गदर्शन देकर मुझे लाभान्वित किया। ऐसे श्रद्धेय गुरूजन के प्रति मै हृदय की समस्त भावनाओं को कृतज्ञता स्वरूप उन्हें अर्पित करती हूँ।

इस शोध कार्य के पूर्ण होने में पूज्यनीया मेरी माँ, पूज्यनीय राम अवतार सिंह, यू0पी0 कॉलेज के वनस्पति विभाग के डॉ0 ए0के0 सिंह, डॉ0 रामेश्वर सिंह नेगी, कु0 विभा सिंह का योगदान भी अति बहुमूल्य रहा जिन्होंने शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने के लिए सदैव उत्साहित किया।

साथ ही मै अघोरपीठ कीनाराम स्थल वाराणसी की आभारी हूँ जहाँ से मुझे प्रेरणा एवं अन्य सुविधाएँ मिलती रही।

शोध से सम्बन्धित जानकारी, वांछित तथ्यों एवं आँकड़ों को उपलब्ध कराने में काशी ग्रामीण बैंक के प्रबन्धक एवं कर्मचारियों का योगदान भी सराहनीय रहा।

अन्त में मै सन् कम्प्यूटर की आभारी हूँ जिन्होंने मेरे शोध पुस्तिका का टंकण किया।

अन्ततः इस विनम्र प्रयास की जो भी उपलब्धि है उसका श्रेय मै उन सबको देती हूँ जो किसी भी रूप में मेरे जीवन से जुड़कर मेरी प्रेरणा का माध्यम बने। जो त्रुटियाँ हैं उसके लिए मै स्वयं को ही उत्तरदायी मानती हूँ।

आभा सिंह

(आभा सिंह)